1. अब्दुल गनी खॉ पुत्र हुसेन खॉ उम्र 88 वर्ष, जाति मुसलमान निवासी वार्ड नम्बर 21, ग्राम दाता तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
2. जगदीश प्रसाद पौद्धार पुत्र श्री गणपतलाल पौद्धार, उम्र 75 वर्ष, जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 21, ग्राम दाता तहसील दातारामगढ जिला सीकर राजस्थान।

––अपीलान्ट्स

बनाम

1. विहत प्राधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर राजस्थान।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दातारामगढ़ तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
3. अनिल कुमार पुत्र श्रीराम, जाति महाजन निवासी वार्ड नम्बर 21, ग्राम दाता तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर राजस्थान।
4. इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर डिवीजन ऑफिस फर्स्ट फ्लोर एल.आई.सी. इनवेस्टमेन बिल्डिंग फेज सेकिण्ड अम्बेडकर सर्किल के पास भवानी सिंह रोड़ जयपुर जरिये प्रबंधक।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री सुमन शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 की ओर से**
3. **श्री अनुराग कलावरिया रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से**
4. **श्री विश्वेस गुप्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 27.09.2022

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ विहित प्राधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर द्वारा पारित आदेश क्रमांक एफ.16(35)भू.रू./ग्रामीण क्षेत्र/राजस्व/2020/1161 दिनांक 03.07.2020 से असंतुष्ट होकर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 90 ख(7) के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम दाता तहसील दातारामगढ़ जिला सीकर में स्थिति खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2953/2949 रकबा 0.9950 हैक्टयर में से 1225 वर्गमीटर खातेदार श्री अनिल कुमार पुत्र श्री श्रीराम जाति महाजन निवासी ग्राम दाता की वाणिज्यक पैट्रोल (प्रयोजनार्थ) संपरिवर्तन करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजना के लिये संपरिवर्तन) (नियम)2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन/नियमितीकरण सम्बन्धी जो आदेश दिनांक 03.07.2020 पारित किया गया है वह पत्रावली पर उपलब्ध

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दस्तावेजात एवं साक्ष्यों के विपरित होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 03.07.2020 पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण या अन्य गांव वासियों को किसी प्रकार की कोई सूचना नही दी गई, ना ही समाचार पत्र में कोई आम सूचना संपरिवर्तन बाबत प्रकाशित करवाई गई जिस कारण पारित अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा जो प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही तथा उक्त दस्तावेजों के पूर्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही एवं पूर्व रिकार्ड के तथ्यों की अनदेखी करते अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है क्योंकि खसरा नम्बर 2953/2949 रकबा 0.9950 हैक्टयर में से 1225 वर्गमीटर कृषि भूमि का संपरिर्तन कराया गया है वह भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 760 व 878 थी जो पूर्व राजस्व रिकार्ड सम्वत 2013 में माफी मवेसियान के रूप में दर्ज है इस प्रकार उक्त भूमि कभी भी काश्त की भूमि नही रही है बल्कि गांव के मवेशियों के चराने के काम में आती है इसलिये कानूनन चारागाह भूमि का किसी भी प्रकार से पैट्रोल पम्प संचालन हेतु वाणिज्यक संपरिवर्तन नही किया जा सकता। उन्होने आगे कथन किया है कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गत अंकन का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के पूर्वजों के नाम कर दी गई है जो पूर्णतया गलत है इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की जिस भूमि का संपरिवर्तन किया गया है वह पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों मे कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवतन)(नियम) 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये उपबन्धों की पालना किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 22.09.2020 से पूर्व कतई नही थी तथा दिनांक 22.09.2020 को रेस्पोडेन्ट संख्या 3 पैट्रोल पम्प के कर्मचारी अपीलाधीन कृषि भूमि की नाप जोख कर रहे थे तब अपीलार्थीगण द्वारा पूॅछा गया कि आप उक्त कृषि भूमि की नाप जोख क्यों कर रहे है तब रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपीलार्थीगण से कहा गया कि उसके द्वारा विवादित भूमि का संपरिवर्तन करवा लिया गया है तथा उस पर पैट्रोल पम्प प्रारम्भ करेंगे उक्त जानकारी होने पर अपीलार्थीकण की ओर से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कार्यालय से सम्पूर्ण पत्रावली के लिये नकल का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो नकल अपीलार्थीगण को दिनांक 23.09.2020 को प्राप्त हुयी एवं नकल प्राप्त होने पर अपीलार्थीगण की जानकारी में आया कि रेस्पोडेनट संख्या 3 द्वारा गत राजस्व रिकार्ड अंकन के आधार पर पर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा विवादित भूमि को वाणिज्यिक पैट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ

P.T.O.

संपरिवर्तन करवा लिया गया है जबकि अपीलाधीन भूमि पूर्व राजस्व रिकार्ड में चराई मवेशियान अंकित है जिसका कानूनन संपरिवर्तन नही हो सकता है जिस पर अपील प्रस्तुत करने के लिये अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.2020 को अपास्त किये जाने की महती कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि उक्त भूमि सम्वत् 2011 से 2077 तक कभी भी चारागाह दर्ज नही थी इसमें स्वयं खातेदारों द्वारा काश्त की जा रही है तथा उक्त भूमि पिछले 40 वर्षो से अधिक समय से वर्तमान खातेदार तथा उनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है तथा उक्त भूमि का संपरितर्वन करते समय भूमि का सम्वत् 2011 तक रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के पश्चात् ही संपरिवर्तन की रिपोर्ट प्रेषित की गई थी।

रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नही है एवं सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है क्योंकि अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने हेतु कोई वादकारण ही उत्पन्न नही हुआ है चूँकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की भूमि से अपीलार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है एवं ना ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा पारित संपरिर्वतन आदेश से अपीलार्थीगण के कोई हित या अधिकार ही प्रभावित होते है एवं जहॉ तक अपीलार्थीगण द्वारा अपील में कथन किया गया है कि भूमि माफी मवेशीयान के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं उक्त भूमि गांव के मवेशीयों के चरने के काम आती है, पूर्ण रूप से गलत एवं बेबुनियाद है एवं राजस्व रिकार्ड के विपरित है जबकि वास्तविक तथ्य यह कि रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 2953/2949 जो कि पूर्व में खसरा नम्बर 760 के रूप में दर्ज व अंकित थी, उक्त खसरा नम्बर की भूमि प्रारम्भ से ही खातेदारी भूमि रही है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के एवं उसके पूर्वज उक्त भूमि पर प्रारम्भ से ही काबिज काश्त रहे है जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड से होती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा अपने हक व हिस्से के खसरा नम्बर 2945/2686 की भूमि पर पैट्रोल पम्प स्थापित करने की कार्यवाही प्रारमभ की गई जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा राजस्थान सरकार एवं पैट्रोल पम्प कम्पनी रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के द्वारा पैट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु बनाये गये सभी नियमों व कानूनों की पालना करते हुये अपनी उक्त भूमि में से दो बार में राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार कुल 1050 वर्गगज भूमि (पहले 300 वर्गगज दिनांक 01.11.2019 को व बाद में 750 वर्गगज भूमि दिनांक 18.12.2019 को) राजस्थान सरकार के हक में हकत्याग कर दी जिसके पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नियमानुसर कार्यवाही करते हुये सभी मापदण्डों को पूर्ण करने के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के हक में वाणिज्यक प्रयोजनार्थ (पैट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु) 1225 वर्गमीटर भूमि के सम्बन्ध में संपरिवर्तन आदेश

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

03.07.2020 पारित किया गया है जो कि पूर्णतः विधि सम्मत सभी निर्धारित मापदण्डो एवं नियमों के अनुसार है, उक्त संपरितर्वन आदेश पारित होने के पश्चात् वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा राजस्थान सरकार के हक में हकत्याग की गई भूमि को छोड़ने के पश्चात् वर्तमान में कृषि भूमि नया खसरा नम्बर 3019/2953 के रूप में दर्ज है एवं वाणिज्यक प्रयोजनार्थ भूमि नया खसरा नम्बर 3018/2953 के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण न्यायालय श्रीमान् के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आये है तथा झूँथे एवं असत्य तथ्यों के आधार पर उक्त अपील केवल मात्र रेस्पोडेन्ट पर नाजायज दबाव बनाकर अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है जो आधारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब अपील के समस्त तथ्यों मद्देनजर अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के संलग्न जवाब तहसीलदार दातारामगढ़ के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त भूमि वादग्रस्त सम्वत् 2011 से 2077 तक कभी भी चारागाह दर्ज नही थी एवं इसमें स्वयं खातेदारों द्वारा काश्त की जा रही है तथा उक्त भूमि पिछले 40 वर्ष से अधिक समय से वर्तमान खातेदार तथा इनके पूर्वजों के नाम चली आ रही है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं उनके पूर्वजों के नाम रही भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने के कानूनी अधिकार अपीलार्थीगण के पास उपलब्ध ही नही है। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण की कोई लोकस स्टेण्डाई साबित नही होने से अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 96 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है तथा हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण की कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज की जाती है।

(विकास एस.भाले)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।